बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 179.43 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 179.43 करोड़ रूपये का 10% अर्थात 17.943 करोड़ (सत्रह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में हिस्सा पूँजी की अवशेष राशि 12.943 करोड़ (बारह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–547 दिनांक–25.02.2019 के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 179.43 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 179.43 करोड़ रूपये का 60% अर्थात 107.658 करोड़ (एक सौ सात करोड़ पैसठ लाख अस्सी हजार) रूपये भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10% अर्थात 17.943 करोड़ (सत्रह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 30% अर्थात 53.829 करोड़ (तिरेपन करोड़ बयासी लाख नब्बे हजार) रूपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 5.00 करोड़ (पाँच करोड) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध करांये गये राशि 05.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त अवशेष राशि 12.943 करोड़ (बारह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रूपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 179.43 करोड़ (एक सौ उनासी करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 179.43 करोड़ रूपये का 10% अर्थात 17.943 करोड़ (सत्रह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में हिस्सा पूँजी की अवशेष राशि 12.943 करोड़ (बारह करोड़ चौरानवे लाख तीस हजार) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उपशीर्ष–0111 बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 के पृष्ठ संख्या–9/टि0 पर दिनांक–18.02.2019 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 पृष्ठ संख्या–16/टि0 पर दिनांक–22.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०–07/2019 2334 /पटना, दिनांक– 02/09/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।